

कार्यालय ग्राम पंचायत-

गिरिकारा स्थान सावाल

जनपद-

प्राप्ति

करीरपुर

गाजीपुर

दिनांक 12/06/23

प्राप्ति

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टक्की को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

प्राप्ति

अवगत कहाना है कि दिनांक 12/6/23 को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक / जूँड़हाइस्कूल के प्रधानाधार्य, भव्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता, सभायिका, कांटदार, १०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिमान किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्वाचित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के युविया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अग्र: अनुरोध है कि छृष्टि यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण हेतु आवश्यक कार्यकारी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदीय,

M.P. Singh
Sushma Foundation
Vrindavan(U.P.)

ग्राम प्रधान



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों के पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मटक करती है। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: १२/०६/२०
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १५/०७/२३
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:
2. ग्राम का नाम: गोपीरुद ग्रामीण
ग्राम पंचायत का नाम: गोपीरुद
झाँक का नाम: २११०८८
जिला का नाम: १०८८
राज्य का नाम: ३० दृ०
ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- I. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुँडों को और (संख्या) बपड़े घोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना
हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनाव, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकालों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूरित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।
यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
- * पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् डी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पैम १२४ ३०५ १९१२०११ सीमा
- समिति को क्या कहा जाता है:
- अध्यक्ष का नाम: कृष्ण देवी
- लिंग: महिला
- आयु:



P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Anasi(U.P)

III. सामाजिक विवरण

6.

प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या
प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - दर्तमान से 15 वर्ष (दर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (क.एल.डी.) और अंतिम चरण - दर्तमान से 30 वर्ष (दर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (क.एल.डी.)

8. दर्तमान मवशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि कासल पैटर्न: _____

प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या
प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या	प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 162 मि 178 मि11. स्थलाकृति (तमतल, ढलान, आदि): भूमि

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)
("शाम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं / नहीं)
("शाम कार्य योजना" के साथ मानचित्र संलग्न करें)

प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या					
प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या					
प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या					
प्राचीन लोकोत्तर जनसंख्या					

शानी की कल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 115.11 के एलडी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 31.11 के एलडी.
 मवेशी कुंडों विभी आवश्यक संख्या: 4
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 162.5 के एलडी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 275.11 के एलडी.

पानी की आपरिं का इतिहास

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपटा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति। २५

17. आपातकालीन व्यवस्था का लोड इतिवृत्त जैसे टैकिया, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। २५

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, शोत या मजबूत करने का इतिवृत्त २५

19. जन जनित रोगों का इतिवृत्त: अलैफ्स, हैमो, पर्स - २५मार्क

पानी की वृणवत्ता

20. पीलड परीक्षण किट / वायर का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सेनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले भौजूदा/ प्रस्तावित पैदाजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कृपां धीने / स्वान करने का स्वान

23. यह संमावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिधारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

सौत स्थापित्व

24. भूजल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं)

25. गांव में उन मौजदा जल भंडारों की सूची जिनका कर्याकल्प/मरम्मत कर्य किया जाना आवश्यक है:

गंदहो जल का प्रबंधन

26. उत्तरन गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 75.11 के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड़दी वाले परिवारों की संख्या: ५०

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखला गड़दों की आवश्यकता है: 45

आवश्यक सामदायिक सोख्ता गड़ों की संख्या : ६५

क्या अपशिष्ट तलछांट तालाब की आवश्यकता है? (हो नहीं):

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अग्री नदी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कर्तृत से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति सोबता

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छार तक पहुँच के सिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.इन्स्ट्रूमेंट्स, के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.इन्स्ट्रूमेंट्स, की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - नियांत्रित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिप्हेंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
 - वाटर ग्रिड/सेबोय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.इन्स्ट्रौमेंट्स, जो एकान्त/आटिवासी स्थितियों में हित है

28 अप्रिल 2019 तक सोने का दाम 23 रुपये

आपात सु मत्तादिव ब्रह्म आपति मोहनः ५५५१ ५३१५

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित राशि: एक पचास हजार रुपये

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024

योजना की लागत: २,६०८४ भारत सरकार का हिस्सा: ✗ राज्य का हिस्सा: ✗

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

दार्थिक प्रचालन व रख-खात्र शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जत शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिधारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

• VI. मेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ नियम मेल-जौल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम को आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

प्रधानमंत्री संरक्षण विभाग नीति कार्यालय (प्राइवेट्स्पैस)	भूमि संसाधन विभाग जल संरक्षण, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	वाटरलैंड प्रबल्लु और उच्चार्द्ध एवं/ नीति प्रबल्लु, जल निकायी का नियोगी बूढ़ी अधिकारी
जल भंडारी की सम्मगत, नीतीनियन और जीर्णादार	जल संरक्षण, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारी का जीर्णादार
संसदीय कृषि किसान योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरलैंड से संबंधित कर्म
प्रधानमंत्री कृषि सिपाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंधुई का प्रबल्लन, एक्सोफर्स से जल की नियन्त्रणी को कम करने के लिए
नीतीनियन विभाग कौश प्रबल्लन और आयोजना आयोजना	प्रबल्लन, बन और जलधारा विभाग मंत्रालय	नीतीनियन, बन नारियनियन तंत्र से युक्तजन, यौद्योगिक विकास, आदि।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यगिता मंत्रालय	जार.उच्च्व.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि
समाज विकास विभाग (एस.एस.वाई.)	समाज संवर्धन विभाग मंत्रालय	समाजी वैयक्ति अनुबूति का संवर्धन
आकाशी जिला कार्यालय	नीति आद्योग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकानंद निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ
देश जननियन विभाग (पी.एम.के.एस.वाई.)	देशनि	पृथ. विभाग एवं जल विवरण नियन्त्रणी
एम.पी.एन.ए.डी.	सांख्यिकी और कर्मचार्म कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्राष्ट्रीय अवसरणना
जल संरक्षण विभाग	जलवा	जलवास उत्तराधिकारी
सतीशन के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जलजातीय मामलों मंत्र मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरणना
दून वित्तीयालय		

आपका का हस्ताक्षर

पी.एस.डी.डी. / जाम.इवल्ला.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

जाहें एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

संघके विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात बी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की शुणवत्ता की घीकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच भूहिलाऊ के नाम और फोन नंबरः

1. लालसा देवी = ३६७०५१६२३५०
2. रुद्रिका देवी = २४०८२९९३७१
3. गीता देवी = ७८२२८४५८६५
4. अपोती खोदान = ७२९८५५४९७६८
5. रमितल-नोदा = ७८१८८३९५२८

पांच अधिकारी का नाम और फोन नंबर




M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)